इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2013—फाल्गुन 9, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 1 (बी) 2-2013-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अभियोजकों/अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति/कार्यकाल में वृद्धि हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-24, विधि विभाग के मैनुअल (भाग-1, 2 के नियम 4 से 95) तथा "मध्यप्रदेश राजपत्र", दिनांक 27 फरवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना-फा. क्र.-1 (बी) 2-2004-इक्कीस-ब (दो) में वर्णित प्रावधानों के अलावा, निम्न मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं :—

1. आवेदक की योग्यता एवं अनुभव के अलावा सत्यनिष्ठा/ईमानदारी, विश्वसनीयता, चरित्र, ख्याति, पुर्ववृत्त, समयबद्धता, संवेदनशीलता, कार्य के प्रति समर्पण पर भी विचार किया जावे.

2. आवेदक से निम्न जानकारी प्राप्त कर उस पर गंभीरता से परीक्षण कर विचार किया जावे :—

(ए) आवेदक द्वारा विधिक ज्ञान अद्यतन करने के लिये कौन-कौन से विधि जर्नल सब्सक्राईब किए गए हैं.

(बी) आवेदक ने, आवेदन दिनांक से विगत 3 वर्षों में, जिन सत्र प्रकरणों में उपस्थित होकर कार्यवाही की, उससे उनकी सूची आवश्यक विवरणों सहित प्राप्त की जावेगी.

(सी) आवेदक से उक्त सूची के अलावा, आवेदन दिनांक से विगत 3 वर्षों में 5 सत्र प्रकरणों में न्यायालय में अभिलिखित प्रमुख अभियोजन साक्षीगण (जिनमें साक्षी पक्ष विरोधी न हुए हों और जिनमें पक्ष विरोधी हुए हों, दोनों प्रकार के साक्षी) के कथनों की प्रतियां, आवेदक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण एवं बचावसाक्षी के मुख्य परीक्षण सहित प्राप्त की जावेगी.

(डी) परिवीक्षा अवधि बढ़ाने/नियुक्ति कन्फर्म करने हेतु नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा संचालित सत्र प्रकरणों में से 5 प्रकरणों में आवेदक द्वारा प्रमुख अभियोजन साक्षीगण के मुख्य परीक्षण एवं पक्ष विरोधी प्रमुख साक्षी के परीक्षण तथा बचाव साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण की प्रतियां प्राप्त की जावेगी.

3. संबंधित न्यायालय से आवेदक की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता, समयबद्धता, योग्यता, कार्यव्यवहार एवं आचरण के संबंध में गोपनीय प्रतिवेदन आवेदक की परिवीक्षा अवधि बढ़ाने अथवा कन्फर्म करने के पूर्व तथा उसके बाद प्रतिवर्ष प्राप्त किया जावेगा. उक्त गोपनीय प्रतिवेदन सीधे अथवा सीलबंद लिफाफे में जिला जज के माध्यम से प्राप्त किया जावे.

4. आवेदक से आवेदन विहित प्रारूप (अनेक्सर-ए) में जानकारी उसमें उल्लेखित दस्तावेजों सहित प्राप्त किया जावे.

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

Annexure-A

अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति बाबत् आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. अ-जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
   ब-आयु (आवेदन दिनांक को)
4. शैक्षणिक योग्यता (हाईस्कूल और उसके बाद की शैक्षणिक योग्यताओं के विवरण आवश्यक दस्तावेजों सहित)
5. निवास का पता
   (दूरभाष/मोबाईल क्र. तथा ई-मेल एड्रेस सहित)
6. आवेदित पद
7. राज्य अधिवक्ता परिषद का पंजीयन क्रमांक एवं तिथि
   (पंजीयन की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
8. सत्र न्यायालय में अधिवक्ता व्यवसाय की अवधि (वर्ष में)
9. जिला अधिवक्ता संघ में पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
10. विगत तीन वर्षों में जिन सत्र प्रकरणों में सत्र न्यायालय में पैरवी की गई है उनकी सूची आवश्यक विवरण (सत्र प्रकरण क्र., पक्षकार, धारा) सहित संलग्न करें.
11. विधिक ज्ञान अद्यतन करने के लिए सब्सक्राईब किए गए विधिक जर्नलों की जानकारी (सब्सक्रिब्शन की प्रति सहित)
12. आवेदन दिनांक से विगत 3 वर्षों में 5 सत्र प्रकरणों में न्यायालय में अभिलिखित प्रमुख अभियोजन साक्षीगण (जिनमें साक्षी पक्ष विरोधी न हुए हों और जिनमें पक्ष विरोधी हुए हों, दोनों प्रकार के साक्षी) के कथनों की प्रतियां, आवेदक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण एवं बचावसाक्षी के मुख्य परीक्षण सहित संलग्न करें.
13. नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा संचालित सत्र प्रकरणों में से 5 प्रकरणों में आवेदक द्वारा प्रमुख अभियोजन साक्षीगण के मुख्य परीक्षण एवं पक्ष विरोधी प्रमुख साक्षी के परीक्षण तथा बचाव साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण की प्रतियां संलग्न करें.
14. न्यायालय द्वारा उनके अधिवक्ता व्यवसाय के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी यदि की गई हो, तो उसका उल्लेख.
15. यदि कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध/लम्बित/निराकृत हो तो उस संबंध में उल्लेख करें.
16. अन्य कोई जानकारी, जो आवेदक आवश्यक समझे.

दिनांक :

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.